

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१,
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२५

संदर्भ :- १) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का.७ दि.५ एप्रिल, २००३,
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७. एप्रिल, २०२५,
३) शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२५/प्र.क्र.२३/का-०४, दि. २१ ऑगस्ट, २०२५

शासन निर्णय :-

राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि सनियंत्रण प्रणालीवर तरतूद उपलब्ध केली आहे. या शासन निर्णयाद्वारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹ २६७७७.८६ लक्ष मधून ₹ १५१२.८१ लक्ष (अक्षरी पंधरा कोटी बारा लक्ष एक्क्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे.

(रुपये हजारात)

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतूद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज कल्याण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय | | | |
| १ | (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) (२२३५-२०७२) | | | |
| | ०१, वेतन | ५००००० | २४०००० | ४०००० |
| | ०३, अतिकालिक भत्ता | ३५० | १२२ | ३५ |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | ३२०० | ११२० | ३२० |
| | १०, कंत्राटी सेवा | ६३०७२ | ३०२७४ | ५०४६ |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | २२६६ | ७९२ | २२७ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | १२२९३ | ४३०२ | १२२९ |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | ६०७९ | २१२७ | ६०८ |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतुद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | १७, संगणक खर्च | ५०३ | ० | ० |
| | २१, पुरवठा व सामग्री | १०० | ० | ० |
| | २६, जाहिरात व प्रसिध्दी | ४०० | ० | ० |
| | २७, लहान बांधकामे | २६८१ | ० | ० |
| | २८, व्यावसायिक सेवा | ५० | १७ | ५ |
| | ५०, इतर खर्च | २० | ० | ० |
| | ५१, मोटार वाहने | ३५ | ० | ० |
| | एकूण (०१) (०१) | ५९१०४९ | २७८७५४ | ४७४७० |
| २ | (०१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) (अनिवार्य) (२२३५-२३२१) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ८५८ | ० | ० |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १४५२७९ | ६९७३३ | ११६२३ |
| | एकूण (०१) (०३) | १४६१३७ | ६९७३३ | ११६२३ |
| | एकूण (०१) | ७३७१८६ | ३४८४८७ | ५९०९३ |
| | एकूण ००१ | ७३७१८६ | ३४८४८७ | ५९०९३ |
| | १०२, बाल कल्याण ०१, बालक समृद्धी योजना | | | |
| ३ | (०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे. (अनिवार्य) (२२३५-३०३२) | | | |
| | ०१, वेतन | ५६६६१ | २७१९७ | ४५३३ |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | १०८४ | ३७९ | १०८ |
| | १०, कंत्राटी सेवा | २१८६०० | १००००० | ० |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | १६२ | ५६ | १६ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | २०७ | ७२ | २१ |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | १२६५ | ४४२ | १२७ |
| | १९, आहार खर्च | ३२५० | ११३७ | ३२५ |
| | २१, पुरवठा व सामग्री | ४०७ | ० | ० |
| | ५०, इतर खर्च | १६८ | ० | ० |
| | एकूण (०१) (०४) | २८१८०४ | १२९२८३ | ५१३० |
| ४ | (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ७३८८ | ३००० | २९ |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १२१११ | ५८१३ | ९६९ |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतुद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | एकूण (०१) (०५) | १९४९९ | ८८१३ | ९९८ |
| | एकूण (०१) | ३०१३०३ | १३८०९६ | ६१२८ |
| ५ | ०२, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान | | | |
| | (०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५-३०४१) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ११८३७४ | ७१०२४ | ० |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १७३३९० | ५३७५० | १३८७१ |
| | एकूण (०२) (०३) | २९१७६४ | १२४७७४ | १३८७१ |
| ६ | (०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) | | | |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | १२८४८५ | ४६२५४ | ० |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | १८४०० | ८८३२ | १४७२ |
| | एकूण (०२) (०४) | १४६८८५ | ५५०८६ | १४७२ |
| | एकूण (०२) | ४३८६४९ | १७९८६० | १५३४३ |
| | एकूण १०२ | ७३९९५२ | ३१७९५६ | २१४७१ |
| ७ | १०३, महिला कल्याण | | | |
| | (०१) महिला कल्याण योजना | | | |
| | (०१) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) (२२३५-१२५४) | | | |
| | ०१, वेतन | १६०००० | ७६८०० | १२८०० |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | ४१८१ | १४६३ | ४१८ |
| | १०, कंत्राटी सेवा | १७६०१२ | ४०१९७ | ० |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | १२०० | ४२० | १२० |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | २४७० | ८५४ | २५७ |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | ८७०० | ३०४५ | ० |
| | १९, आहार खर्च | ३०००० | १०५०० | ८७० |
| | २१, पुरवठा व सामग्री | ५२८० | ० | ० |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | ८५६ | ० | ० |
| | ५०, इतर खर्च | ७१२ | ० | ० |
| | एकूण (०१) (०१) | ३८९४११ | १३३२७९ | १४४६५ |
| ८ | (११) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान | | | |
| | (११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) (२२३५-२१६१) | | | |
| | ०४, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च | २०४६७ | ९८२३ | १६३८ |

| अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिक्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पीय तरतुद | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित वितरण |
|--------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) |
| | ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) | १०६०८३ | ३५००७ | ० |
| | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) | ५४४४८ | २६१३५ | ४३५५ |
| | एकूण (११) (०१) | १८०९९८ | ७०९६५ | ५९९३ |
| ९ | (२३) संरक्षण अधिकारी | | | |
| | (२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) | | | |
| | ०१, वेतन | ३००००० | १४४००० | २४००० |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | १२८२ | ४४८ | १२८ |
| | १०, कंत्राटी सेवा | ६०००० | २८८०० | ४८०० |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | ४३२९ | १५१५ | ४३३ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | ११३५६ | ३९७४ | ११३६ |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | ४१७८ | १४६२ | ४१८ |
| | १७, संगणक खर्च | ८००० | ० | ० |
| | २०, इतर प्रशासकीय खर्च | ३५९० | ० | ० |
| | एकूण (२३) (०१) | ३९२७३५ | १८०९९९ | ३०९१५ |
| | एकूण १०३ | ९६३१४४ | ३८४४४३ | ५१३७३ |
| १० | १०४, वृद्ध, विकलांग व निराश्रित व्यक्तींचे कल्याण | | | |
| | (०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) | | | |
| | ०१, वेतन | १९३६५० | ९२९५२ | १५४९२ |
| | ०३, अतिकालीन भत्ता | १२८ | ४४ | १३ |
| | ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क | ३५०० | १२२५ | ३५० |
| | १०, कंत्राटी सेवा | ७९१ | ३७९ | ६३ |
| | ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च | १२२८ | ४२९ | १२३ |
| | १३, कार्यालयीन खर्च | १५०० | ५२५ | १५० |
| | १४, भाडेपट्टी व कर | ५२९ | १८५ | ५३ |
| | १९, आहार खर्च | ३१००० | १०८५० | ३१०० |
| | २१, पुरवठा व सामग्री | ४१३८ | ० | ० |
| | ५०, इतर खर्च | ८०० | ० | ० |
| | एकूण (०१) (०१) | २३७२६४ | १०६५८९ | १९३४४ |
| | एकूण १०४ | २३७२६४ | १०६५८९ | १९३४४ |
| | एकूण ०२, समाज कल्याण | २६७७५४६ | ११५७४७५ | १५१२८१ |
| ११ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम | | | |
| | १०४, ठेव संलग्न विमा योजना | | | |
| | (००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) | | | |
| | ५०, इतर खर्च | २४० | १२० | ० |
| | एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा | २४० | १२० | ० |
| | एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) | २६७७७८६ | ११५७५९५ | १५१२८१ |

२. लेखाशीर्ष २२३५ बी ९४२ या लेखाशीर्षखालील निधीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर (DDO क्र.७१०१०१५७१२) हे नियंत्रक अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. तसेच उर्वरीत लेखाशीर्षखाली (२२३५ बी ९४२ वगळून) वितरित केलेल्या निधीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी असतील.
३. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी व सर्व अटी/ शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहिल.
४. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापूर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल.
५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०७. एप्रिल, २०२५ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५०९२४१७१७१२४८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(सुनिल सरदार)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई
४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई
५. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे
७. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास)
८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई

१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई

१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

१७. निवड नस्ती, का-०४.